आवश्यकता-पूर्ति, खुशहाली, सुख एवं समृद्धि सुनिश्चित की ही जानी चाहिये।

पशुत्व पोषित शोषण : शोषक बनाम शोषित से निवृत्ति एवं मुक्ति

पशु नहीं सोचता, अतः उसका शोषण होता है।
सत्ताधारी व अभिजात्य वर्ग चाहता है कि
मनुष्य भी न सोचे। इस प्रकार जनता पशु बन जाये, जिससे वे
उनका शोषण कर सकें।

परिवर्तन ही प्रकृति है, निर्माण है, विनाश है। जीवन का सत्य है परिवर्तन, यही है सनातन।

संयोग का अन्त है वियोग, निर्माण का अंत है विसर्जन। वर्तमान भूत में विलीन है, और भविष्य ही है वर्तमान।

कर्तव्य आधारित संविधान

प्रत्यक्ष एवं सहभागी लोकतंत्र

Village Republic System

वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः।

हम विद्वान राष्ट्र को जागृत व जीवन्त बनाये रखेंगे।

युग परिवर्तन की नई विश्व व्यवस्था

लोकतंत्र-जनतंत्र को कर्त्तव्यतंत्र बनायें।
डेमोक्रेसी की जगह ड्यूटीक्रेसी लायें।

जन-जन की भागीदारी एवं मानव-कर्त्तव्य आधारित , जीवन्त ग्राम-स्वराज्य के
क्रियान्वयन हेतु, दलविहीन राजनीति, शासन एवं सर्वसम्मत सांझे संविधान की रूपरेखा

राष्ट्र का नाम : भारत। राष्ट्रीय गौरव एवं आर्थिक मेरुदण्ड : गौमाता, गंगा माता और तुलसी माता।

राष्ट्र की कार्य संस्कृति : भारतीय-वैश्विक मानदण्ड अनुरूप कर्तव्य, प्राकृतिक न्याय एवं नैतिक मूल्य आधारित। दलीय राजनीति एवं साम्प्रदायिक पक्षपात विहीन।
सभी नागरिकों के लिये समान कानून संहिता।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था : प्रथम : कृषि। जल, जंगल एवं जमीन स्थानीय सम्पत्ति।
का आधार
द्वितीय : उद्योग, व्यापार-वाणिज्य, उत्पादन-विसर्जन, व्यवसाय एवं सेवायें।
तृतीय : श्रम, उत्पादन, विसर्जन एवं विकास में सबकी भागीदारी।
चतुर्थ : आय और उत्पादन का 2 से 5 प्र.श. राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिये विसर्जन।

मूल निवासी एवं राष्ट्रीयता: भारतीय मूल एवं भारतीय। राष्ट्रीयता-भारतीयता।

राष्ट्रभाषा एवं शासन की भाषा : विज्ञान सम्मत एवं वैज्ञानिक, हमारी अपनी संस्कृत मातृभाषा।

राष्ट्रभाषा ही रोजी-रोटी एवं शासन-प्रशासन की भाषा बनाई जाये, ताकि किसी अन्य बाहरी भाषा की आवश्यकता ही न रहे।

सौ करोड़ को अनावश्यक रूप से विदेशी भाषायें सिखाने की बजाय एक-दो लाख शासक वर्ग को विदेशी भाषा पढ़ने की बाध्यता स्वीकार की जा सकती है।

त्वरित न्यायतंत्र एवं दंड विधान : सामाजिक बहिष्कार, पंचायती न्याय एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। पर्यावरण एवं मानवता के प्रति अपराध, कर्त्तव्यहीनता एवं अनुत्तरदायित्व के लिये कठोर दंड।

पुलिस एवं सुरक्षातंत्र : स्थानीय प्रशासन एवं निकायों के क्षेत्र में। स्थानीय प्रशासन द्वारा ही शासकीय नियमों के आधीन सेवा-शर्तें, नियुक्ति एवं वेतन निर्धारण।

शासन-प्रशासन कार्यक्षेत्र : कानून एवं सामाजिक नियम निर्माण, संवैधानिक दायरे में कार्यान्वयन, शासन-प्रशासन एवं उत्तरदायी सेवाओं का संचालन। लाभार्जन हेतु कार्य-व्यापार, उद्यम-उद्योग आदि पूर्णरूपेण प्रतिबंधित। जुआ, लाटरी, शराब, नशीले पदार्थ, वेश्यावृत्ति एवं अश्लीलता को राष्ट्रदोह की श्रेणी में निर्धारण।

निम्नतम् वेतनसीमा : शासन-प्रशासन की उच्चतम वेतन सीमा का दसवां हिस्सा।

उच्चतम वेतनसीमा : शासन-प्रशासन की निम्नतम् वेतनसीमा से 10 गुना अधिक।

राजकीय सेवायें : राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवाओं के अलावा सभी अस्थायी। सभी सेवाओं का उपयोगिता, उत्तरदायित्व निर्वाह, प्रमाणिकता एवं जनता के साथ सहयोग के आधार पर पुर्न-नवीनीकरण।

राष्ट्रीय अपराध एवं राजद्रोह : जनता के प्रति कर्तव्यहीनता एवं अनुत्तरदायित्व, स्त्रियों, बच्चों, विकलांगो एवं वन्य जीव-जन्तुओं के प्रति क्रूरता, अत्याचार, शोषण, प्रदूषण एवं अपराध।

शासन का दायित्व : क- राष्ट्रीय सुरक्षा कोष बना प्रत्येक नागरिक की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति, सुरक्षा, सुशासन एवं प्रबन्धन।
ख- अपराध की जड़ जुआ, लाटरी, शराब, नशीले पदार्थ, वश्यावृत्ति, अश्लीलता एवं हिंसा की फिल्मों आदि को अपराध घोषित करना।
ग- भारत को एक सूत्र में जोड़ने हेतु आधार रूप में प्याऊ, सदाव्रत एवं धर्मशालाओं की पुर्नस्थापना।
घ- नदी, तालाब, जल, जंगल, जमीन एवं पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखने की अनिवार्यता एवं बाध्यता।

आ देवानाम भवः केतुरग्ने (ऋग्वेद)

केवल श्रेष्ठ व्यक्ति ही जनता का मार्गदर्शन करें।